जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर
97/2016
A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 97/2015 अनवानी श्री करणवीर सिंह पुत्र श्री जयदीपसिंह उर्फ जयदीपसिंह संधू जाति जटसिख निवासी 31 जी.बी. तहसील विजयनगर हाल 1 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये कुदरती वली माता श्रीमति डिम्पल परित्यागिता पत्नि जयदीपसिंह उर्फ जयदीपसिंह संधू जाति जटसिख साकिन 1 जैड तह0 व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–जयदीपसिंह उर्फ जयदीपसिंह संधू पुत्र रायबंस सिंह जाति जटसिख साकिन 31 जीबी तहसील विजयनगर 2–स्टेट आफ राज0 जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.12.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री पी. डी. लूथरा उपस्थित है। अप्रार्थी जयदीपसिंह उर्फ जयदीपसिंह संधू के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी करणवीर सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति डिम्पल ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी करणवीरसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के न्यायालय में प्रस्तुत पुराना वाद संख्या 14/2010, नया वाद सं0 214/2015 अनवानी करणवीरसिंह जरिये माता कुदरती वली श्रीमति डिम्पल बनाम जयदीप सिंह अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53, 188 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए पेश किया है।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी करणवीरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली मााता श्रीमति डिम्पल द्वारा प्रस्तुत पुराना वाद सं0 14/2010 नया वाद संख्या 214/2015 अनवानी करणवीर सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता डिम्पल बनाम जयदीपसिंह अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53, 188 आरटीए का उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के न्यायालय में विचाराधीन था जो दिनांक 22.04.2010 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया किन्तु जिसे बाद में वादी के प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 रूल 4 व 51 सीपीसी पर दिनांक 30.03.2015 को स्वीकार कर उक्त वाद को रेस्टोर कर दिया गया जो तब से लंबित है। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर की न्यायालय में सुनवाई हेतु बैठक कम हो रही है जिस कारण लम्बे समय से चल रहे इस वाद का निस्तारण नही हो पा रहा है। प्रार्थीया गांव 1 जैड तहसील श्रीगंगानगर की निवासी है और औरतजात है प्रत्येक पेशी पर आने जाने में काफी परेशानी होती है और उसके पास आय का भी कोई साधन नही है। चूंकि प्रार्थीया को अकेले ही मुकदमा में पैरवी के लिए आना जाना पड़ता है जिससे उसे काफी परेशानी होती है और पक्षकारो के मध्य तनाव है और अप्रार्थी ने भी ऐलानिया कहा है कि विवादित जमीन को वह किसी भी प्रकार से प्रार्थीया को नही देगा और वह इस जमीन को लेकर कोई भी हद पार कर सकता है। जिस कारण प्रार्थीया को खतरा बना हुआ है। इसलिए उक्त मुकदमा किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी जयदीप सिंह गांव 31 जीबी तहसील विजयनगर का निवासी है और उसका वहां राजनैतिक प्रभाव व रसूक है अप्रार्थी के राजनैतिक प्रभाव के कारण उसे इन्साफ नही मिलेगा। इसलिए भी उसके प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
97/2016

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया द्वारा राजनैतिक प्रभाव आदि के लगाये गये आरोप मिथ्या एवं निराधार है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। केवलमात्र प्रार्थीया की आने जाने की असुविधा मुकदमा मुन्तकिली का कोई आधार नही बनाती है। इसलिए प्रार्थीया का प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के न्यायालय में लंबित पुराना वाद सं0 14 / 2010 नया वाद संख्या 214 / 2015 अनवानी करणवीर सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता डिम्पल बनाम जयदीपसिंह अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53, 188 आरटीए को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना इस आधार पर की है कि वह औरतजात है और गांव 1 जैड तहसील श्रीगंगानगर में रहती है जिस कारण उसे श्रीविजयनगर अकेले आने जाने में परेशानी होती है। दोनो पक्षो में तनाव होने कारण आपस में विवाद होने का भय रहता है और अप्रार्थी राजनैतिक प्रभाव वाला है इसलिए उसे न्याय नही मिल रहा है। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के प्रतिवेदन दिनांक 12.01.2016 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर का पद रिक्त होने के कारण इनका चार्ज उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पास है और मंगलवार व बुधवार को वे मुख्यालय विजयनगर पर प्रकरणो का नियमानुसार निस्तारण करते है और उन पर किसी प्रकार का कोई राजनैतिक दबाब नही है और प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल किया जाता है तो प्रार्थी की सन्तुष्टि के लिए उचित होगा।

मुकदमा मुन्तकिली के लिए प्रार्थीया द्वारा जो राजनैतिक प्रभाव का आरोप लगाया गया है वह साधारण प्रकृति का है जो कभी भी, किसी पर, लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है और केवलमात्र किसी पक्षकार के आने जाने की असुविधा के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना उचित नही होगा। प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत दावे की ऑर्डर शीट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मूल दावा अभी जबाब के लिए चल रहा है और अभी कोई बहस व निर्णय की स्टेज भी नही है और चूंकि अब उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के पद पर नये पीठासीन अधिकारी भी पदस्थापित हो चुके है। ऐसी अवस्था में उक्त वाद को शीघ्र निस्तारण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मुन्तकिल करने योग्य नही समझते है। इसलिए प्रार्थीया का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर